मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 67/2017 वादपत्र धारा 183 आर.टी.एक्ट.

1– सोहनीबाई पत्नी रामाजी मेघवाल निवासी पायरी तहसील बडीसादडी (नाम विलोपित किया गया)

2– भंवरलाल पिता रामाजी मेघवाल निवासी पायरी तहसील बड़ीसादड़ी

—वादीगण

बनाम

1– हिरासिहं पिता भेरासिंह रावत निवासी पायरी तहसील बडीसादड़ी

2– लक्ष्मसिंह पिता भेरासिंह रावत निवासी पायरी तहसील बडीसादड़ी

3– नारायण सिंह पिता मोतीसिंह रावत निवासी पायरी तहसील बडीसादड़ी

4– खेमसिंह पिता गागासिंह रावत निवासी पायरी तहसील बडीसादड़ी

5– वजेसिंह पिता गांगासिंह रावत निवासी पायरी तहसील बडीसादड़ी

6– राजिंगसिंह पिता मोडासिंह रावत निवासी पायरी तहसील बडीसादड़ी

7– भेररूलाल पिता नवला भाट निवासी पायरी तहसील बडीसादडी

8– लालसिंह पिता दामसिंह रावत निवासी पायरी तहसील बडीसादड़ी

9– प्यारासिंह पिता होलसिंह रावत निवासी पायरी तहसील बडीसादड़ी

10– गोविन्द पिता मांगूसिंह रावत निवासी पायरी तहसील बडीसादडी

11 –नानुसिंह पिता गोतमसिंह रावत निवासी पायरी तहसील बडीसादड़ी

12– हीरालाल पिता रामाजी मेघवाल निवासी पायरी तहसील बडीसादड़ी

13– मोहनलाल पिता रामाजी मेघवाल निवासी पायरी तहसील बडीसादड़ी

—प्रतिवादीगण

वादी की ओर से वकील श्री एन.डी. जोशी तथा प्रतिवादीगण की ओर से Exparte की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा पायरी पटवार हल्का जयसिंहपुरा की आराजी नं. 172, 324, 336, 438 कुल किता 4 कुल रकबा 2.97 हैक्ट. भूमि पर वादी के हक हिस्से व खातेदारी की आराजीयात से माफीक पत्थरगढी पर्चा मौका अनुसार प्रतिवादीगण का कब्जा हटवाया जाकर वादी का कब्जा बहाल किया जावे।

इस वाद के खर्चे....x.... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित....x.. को दी जावे।

यह आज दिनांक 15.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:21:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2025/226 दिनांक : 15/12/2025

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस
प्रकरण संख्या :– 67/2017 ई.रे.

1– सोहनीबाई पत्नी रामाजी मेघवाल निवासी पायरी तहसील बडीसादडी (नाम विलोपित किया गया)
2– भंवरलाल पिता रामाजी मेघवाल निवासी पायरी तहसील बड़ीसादड़ी

——वादीगण

बनाम

1– हिरासिहं पिता भेरासिंह रावत निवासी पायरी तहसील बडीसादड़ी
2– लक्षमसिंह पिता भेरासिंह रावत निवासी पायरी तहसील बडीसादड़ी
3– नारायण सिंह पिता मोतीसिंह रावत निवासी पायरी तहसील बडीसादड़ी
4– खेमसिंह पिता गागासिंह रावत निवासी पायरी तहसील बडीसादड़ी
5– वजेसिंह पिता गांगासिंह रावत निवासी पायरी तहसील बडीसादड़ी
6– राजिंगसिंह पिता मोडासिंह रावत निवासी पायरी तहसील बडीसादड़ी
7– भेररूलाल पिता नवला भाट निवासी पायरी तहसील बडीसादड़ी
8– लालसिंह पिता दामसिंह रावत निवासी पायरी तहसील बडीसादड़ी
9– प्यारासिंह पिता होलसिंह रावत निवासी पायरी तहसील बडीसादड़ी
10– गोविन्द पिता मांगूसिंह रावत निवासी पायरी तहसील बडीसादड़ी
11 –नानुसिंह पिता गोतमसिंह रावत निवासी पायरी तहसील बडीसादड़ी
12– हीरालाल पिता रामाजी मेघवाल निवासी पायरी तहसील बडीसादड़ी
13– मोहनलाल पिता रामाजी मेघवाल निवासी पायरी तहसील बडीसादड़ी

–प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अर्न्तगत धारा 183 रा0टी0एक्ट</u>

// निर्णय // **दिनांक :– 15/12/2025**

वादीगण की और से प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा पायरी पटवार हलका जयसिंहपुरा की राजस्व खाता संख्या नई 140 व पुरानी 132 में दर्ज खसरा संख्या 172 रकबा 0.64 हैक्ट. लगानी 7.04 रूपया, खसरा संख्या 324 रकबा 1.59 हैक्ट. लगानी 17.49 रूपया, खाता सं. 336 रकबा 0.29 हैक्ट. लगानी 4.64 रूपया, खाता संख्या 438 रकबा 0.45 हैक्ट. लगानी 7.20 रूपया कुल किता 4 कुल रकबा 2.97 हैक्टेयर कुल लगानी 36.37 रूपया स्थित होकर वादी व प्रतिवादी सं. 12 व 13 के शामलाती खातेदारी की आराजीयात है। उक्त आराजीयात में अंकित आराजीयात बाहमी बटवाडे से वादीया सोहनीबाई के हिस्से में आई वादीया की उक्त आराजीयात में प्रतिवादीगण द्वारा जबरन अनाधिकार कब्जा कर लेने से उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी वादीया के पुत्र द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी में प्रस्तुत किया जिसके प्र.सं. 84/2014 पर दर्ज होकर पत्थरगढ़ी का आदेश पारित किया गया था। जिसके आदेश की पालना में दिनांक 4.8.2014 को पत्थरगढ़ी की जांच कर मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार की गई । उक्त वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 11 तक का अनाधिकृत कब्जा पाया गया है जिसे तुरन्त प्रभाव से हटवाया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे के कारण वादीया को अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:21:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

हक हिस्से एवं खातेदारी की आराजीयात में काश्त करने में हानी कारीत हो रही है। तथा प्रतिवादीगण अपने लठ्छल से वादीया को बेवजह परेशान करते रहते है तथा आये दिन लडाई झगड़ा करते रहते है। इसलिए प्रतिवादीगण का अवैधकब्जा हटवाया जाकर वादीगण को दिलवाया जावें। प्रतिवादीगण 12 व 13 ने वादी बनने से मना कर दिया इसलिए वादपत्र में पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है जिनसे कोई अनुतोष नही चाहा।

अतः निवेदन है वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार फरमाया जाकर निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावें।

क– उक्त वादग्रस्त आराजीयात में वर्णित वादीया की उपरोक्त हक हिस्से व खातेदारी की आराजीयात से माफीक पत्थरगढ़ी पर्चा मौका अनुसार प्रतिवादीगण का कब्जा हटवाया जाकर वादीगण का कब्जा बहाल कराया जावें।

ख– प्रतिवादीगण द्वारा दौराने वाद यदि कोई पक्का कब्जा निर्माण कर लिया जावें तो भी प्रतिवादीगण के खर्चे से हटाया जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया । प्रतिवादी नं. 1 से 9 व 11 की ओर से श्री आर.सी.शर्मा अधिवक्ता द्वारा पावर पेश किया गया । प्रतिपादी नं. 10, 12, 13 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 07.09.2021 में वकील प्रतिवादी अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। इसलिये तनकीयात कायम नहीं की गई। और पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। साक्ष्यवादी में भंवरलाल का शपथ पत्र पेश किया गया। वकील वादी ने एक प्रा. पत्र वादी नं. 1 का नाम हटाने का पेश किया जिसे स्वीकार किया गया।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । वकील वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा पायरी पटवार हल्का जयसिंहपुरा की आराजी नं. 172, 324, 336, 438 कुल किता 4 कुल रकबा 2.97 हैक्ट. भूमि पर वादी के हक हिस्से व खातेदारी की आराजीयात से माफीक पत्थगढी पर्चा मौका अनुसार प्रतिवादीगण का कब्जा हटवाया जाकर वादी का कब्जा बहाल किया जावे। इसी अनुसार अंतिम डिक्री बनायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)
सत्यमेव जयते

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:21:46 IST
Reason: SelfAttested